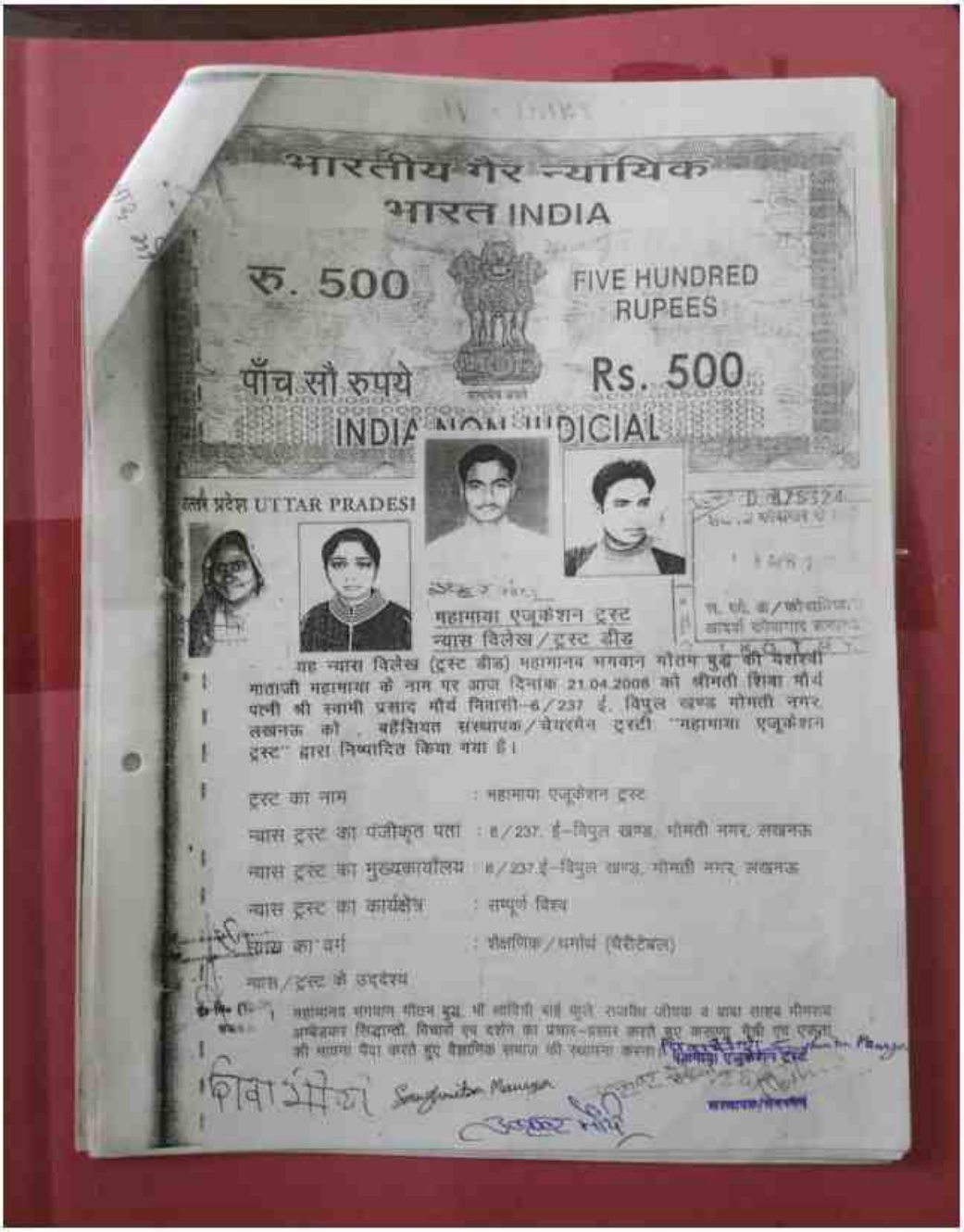

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 875324

महामाया एजुकेशन ट्रस्ट

न्यास विलेख / ट्रस्ट डीड

यह न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) महामानव भगवान गौतम बुद्ध की यशस्वी माताजी महामाया के नाम पर आज दिनांक 21.04.2008 को श्रीमती शिवा मौर्य पत्नी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य निवासी–6/237 ई. विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को, बहैसियत संस्थापक/चेयरमैन ट्रस्टी "महामाया एजुकेशन ट्रस्ट" द्वारा निष्पादित किया गया है।

ट्रस्ट का नाम : महामाया एजुकेशन ट्रस्ट

न्यास ट्रस्ट का पंजीकृत पता : 6/237, ई–विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

न्यास ट्रस्ट का मुख्यकार्यालय : 6/237 ई–विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

न्यास ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण विश्व

संस्था का वर्ग : शैक्षणिक / धर्मार्थ (चैरिटेबल)

न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्य

1. महामानव भगवान गौतम बुद्ध, श्री ज्योतिबा राव फुले, राजर्षि शाहू जी महाराज व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धान्तों, विचारों एवं दर्शन का प्रचार–प्रसार करते हुए मानवता, मैत्री एवं एकता की भावना पैदा करते हुए वैज्ञानिक समाज की स्थापना करना।

महामाया एजुकेशन ट्रस्ट

संस्थापक/चेयरमैन

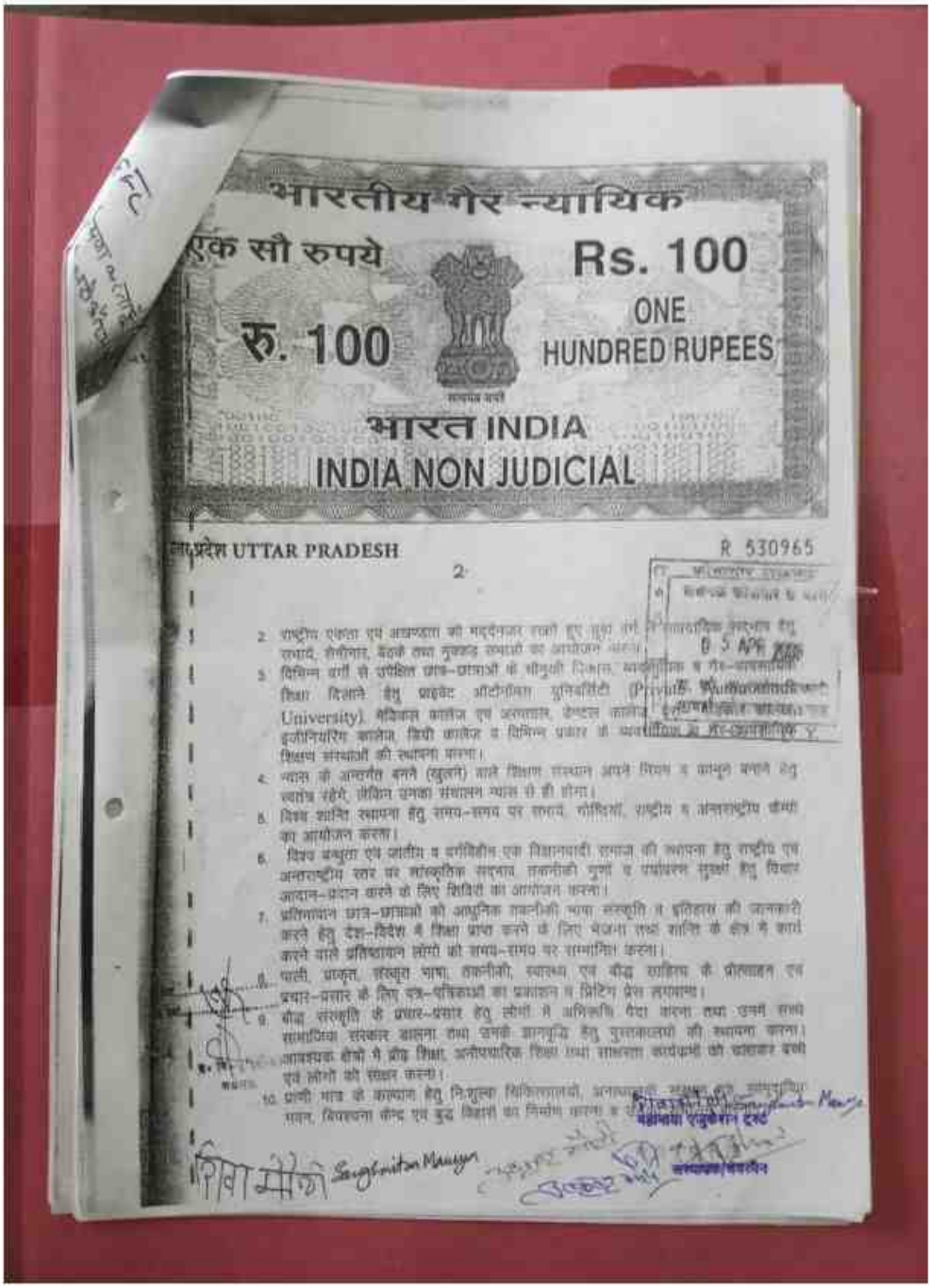

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 530965

2

2. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को मद्देनजर रखते हुए [illegible] सभाएं, सेमिनार, बैठकें तथा [illegible] सभाओं का आयोजन करना।
3. विभिन्न वर्गों से उपेक्षित छात्र-छात्राओं के चौमुखी विकास, व्यावसायिक व गैर-व्यावसायिक शिक्षा दिलाने हेतु प्राइवेट औद्योगिक यूनिवर्सिटी (Private [illegible] University), मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, डेण्टल कालेज, [illegible] इंजीनियरिंग कालेज, डिग्री कालेज व विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक व गैर-व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना।
4. न्यास के अन्तर्गत बनने (खुलने) वाले शिक्षण संस्थान अपने नियम व कानून बनाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन उनका संचालन न्यास से ही होगा।
5. विश्व शान्ति स्थापना हेतु समय-समय पर सभायें, गोष्ठियाँ, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बैठकों का आयोजन करना।
6. विश्व बन्धुत्व एवं जातीय व वर्गविहीन एक विज्ञानवादी समाज की स्थापना हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक सद्भाव, तकनीकी गुणों व पर्यावरण सुधार हेतु विचार आदान-प्रदान करने के लिए शिविरों का आयोजन करना।
7. प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीकी भाषा संस्कृति व इतिहास की जानकारी करने हेतु देश-विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना तथा शान्ति के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठावान लोगों को समय-समय पर सम्मानित करना।
8. पाली, प्राकृत, संस्कृत भाषा, तकनीकी, स्वास्थ्य एवं बौद्ध साहित्य के प्रोत्साहन एवं प्रचार-प्रसार के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन व प्रिंटिंग प्रेस लगवाना।
9. बौद्ध संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु लोगों में अभिरुचि पैदा करना तथा उनमें सभ्य सामाजिक संस्कार डालना तथा उनकी ज्ञानवृद्धि हेतु पुस्तकालयों की स्थापना करना। आवश्यक क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमों को चलाकर उन्हें एवं लोगों को साक्षर करना।
10. प्राणी मात्र के कल्याण हेतु निःशुल्क चिकित्सालयों, अनाथालयों, [illegible] सामुदायिक भवन, विपश्यना केन्द्र एवं बुद्ध विहारों का निर्माण करना व [illegible]

महामाया एजुकेशन ट्रस्ट

अध्यक्ष/संस्थापक

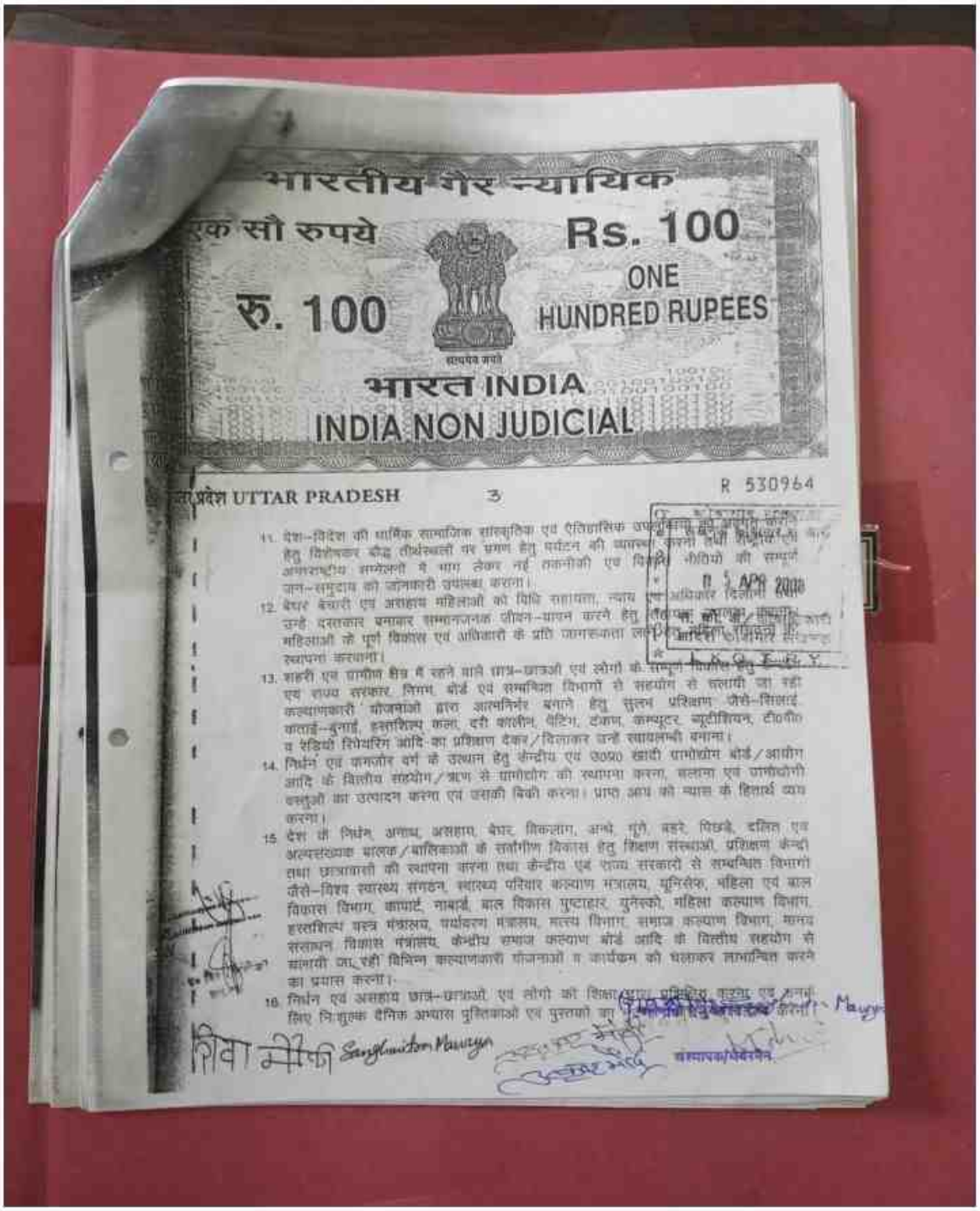
भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
R 530964

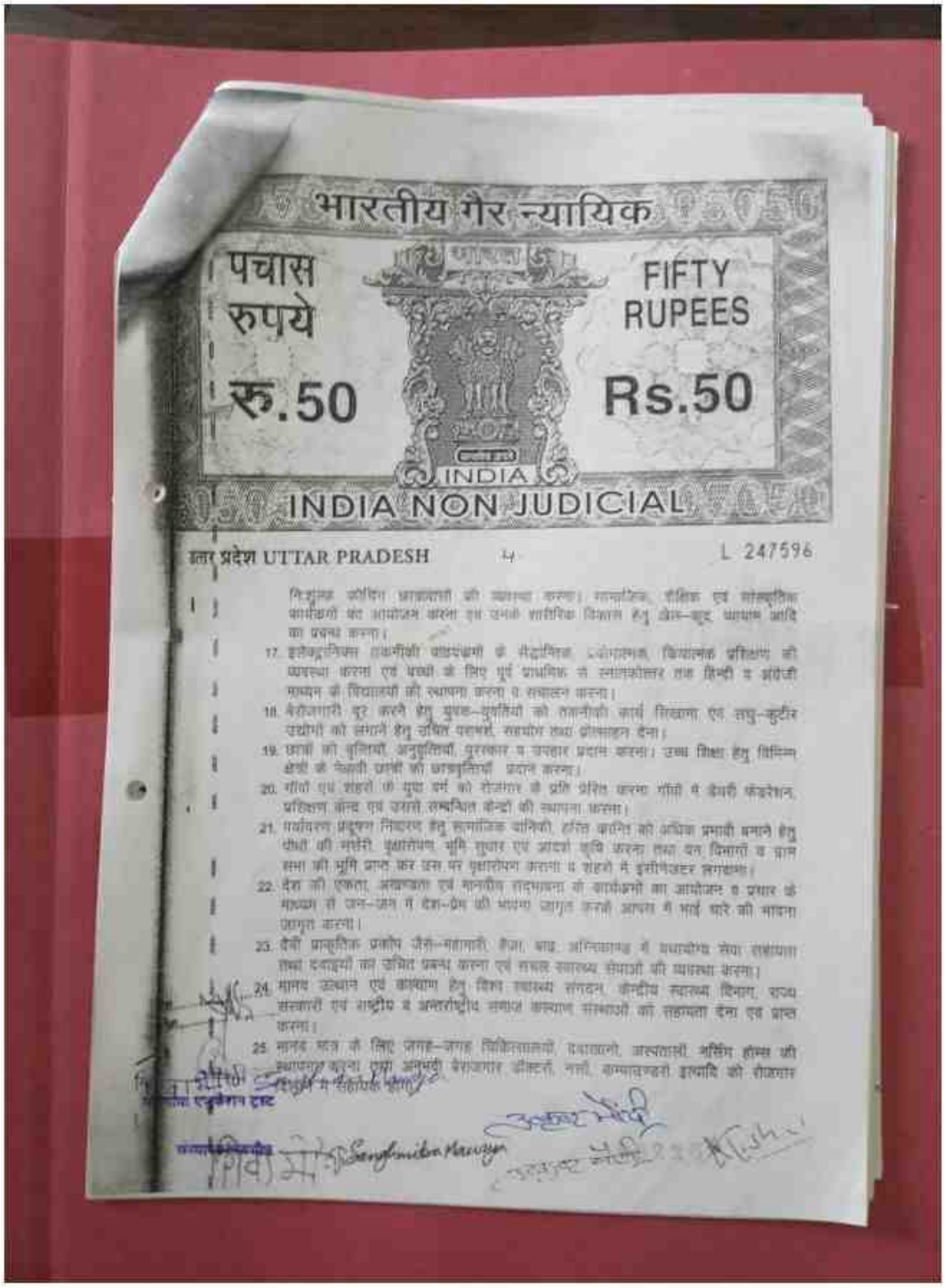
भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 247596

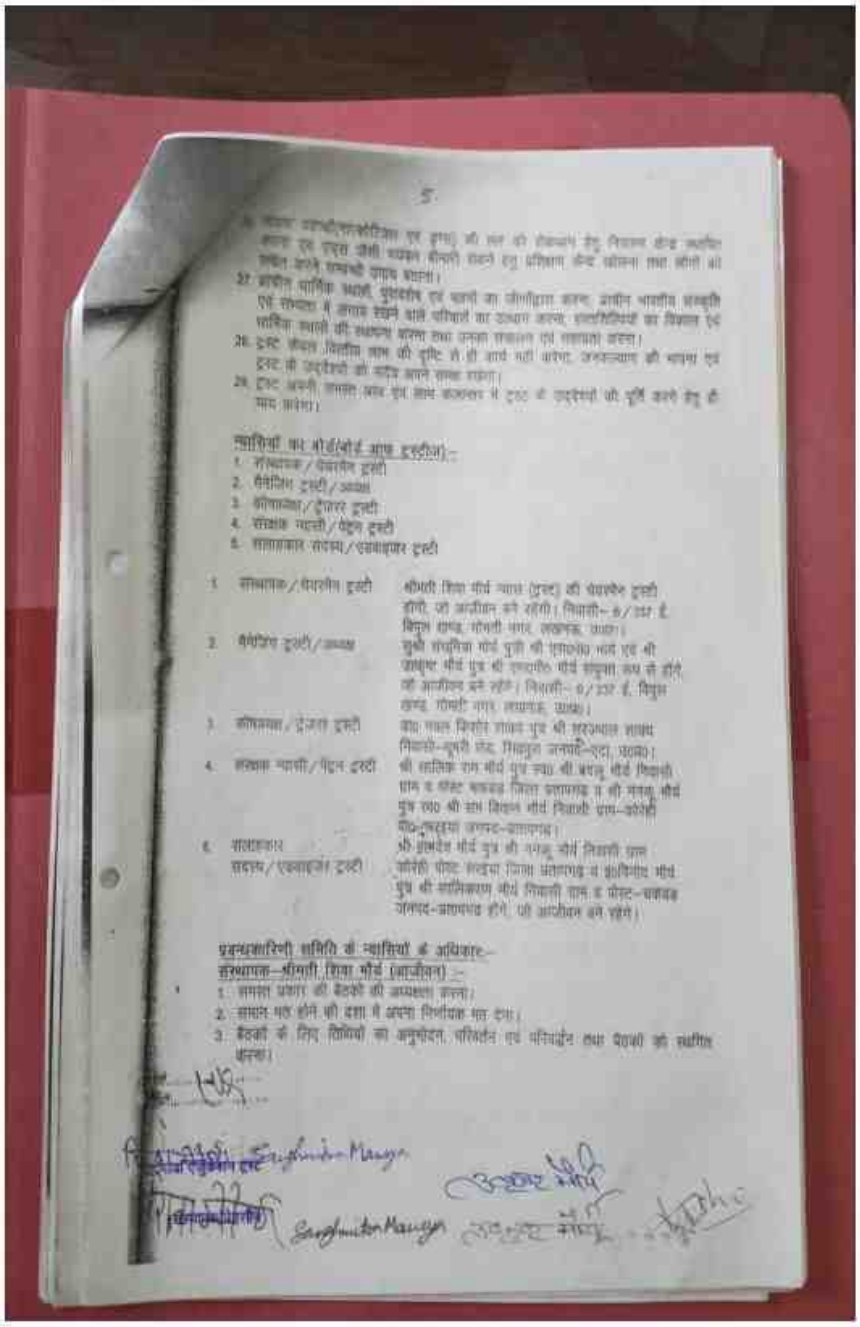

5

26. [illegible] एवं [illegible] की [illegible] हेतु [illegible] प्रशिक्षण केन्द्र खोलना तथा [illegible] सम्बन्धी प्रयास करना।
27. प्राचीन धार्मिक स्थलों, पुरातत्व एवं भवनों का जीर्णोद्धार करना, प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में आस्था रखने वाले परिवारों का उत्थान करना, [illegible] का निर्माण एवं [illegible] स्थलों की स्थापना करना तथा उनका संचालन एवं सहायता करना।
28. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ की दृष्टि से ही कार्य नहीं करेगा, जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सर्वोपरि मानते हुए रखेगा।
29. ट्रस्ट अपनी [illegible] समय समय पर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही [illegible] करेगा।

न्यासियों का बोर्ड(बोर्ड आफ ट्रस्टीज):-

1. संस्थापक/चेयरमैन ट्रस्टी
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष
3. कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी
4. संरक्षक न्यासी/पेट्रन ट्रस्टी
5. सलाहकार सदस्य/एडवाइजर ट्रस्टी

1.	संस्थापक/चेयरमैन ट्रस्टी	श्रीमती शिवा मौर्य न्यास (ट्रस्ट) की चेयरमैन ट्रस्टी होंगी, जो आजीवन बनी रहेंगी। निवासी– 8/237 ई. विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।
2.	मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष	सुश्री संघमित्रा मौर्य पुत्री श्री [illegible] एवं श्री [illegible] मौर्य पुत्र श्री [illegible] मौर्य संयुक्त रूप से होंगे जो आजीवन बने रहेंगे। निवासी– 8/237 ई. विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।
3.	कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी	[illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी–[illegible] जनपद–एटा, उ0प्र0।
4.	संरक्षक न्यासी/पेट्रन ट्रस्टी	श्री [illegible] मौर्य पुत्र स्व0 श्री [illegible] मौर्य निवासी ग्राम व पोस्ट [illegible] जिला प्रतापगढ़ व श्री [illegible] मौर्य पुत्र स्व0 श्री [illegible] मौर्य निवासी ग्राम–[illegible] पो0–[illegible] जनपद–प्रतापगढ़।
5.	सलाहकार सदस्य/एडवाइजर ट्रस्टी	श्री [illegible] मौर्य पुत्र श्री [illegible] मौर्य निवासी ग्राम [illegible] पोस्ट [illegible] जिला प्रतापगढ़ व [illegible] मौर्य पुत्र श्री [illegible] मौर्य निवासी ग्राम व पोस्ट–[illegible] जनपद–प्रतापगढ़ होंगे, जो आजीवन बने रहेंगे।

प्रबन्धकारिणी समिति के न्यासियों के अधिकार:-

संस्थापक–श्रीमती शिवा मौर्य (आजीवन) :-

1. समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
3. बैठकों के लिए तिथियों का अनुमोदन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन तथा बैठकों को स्थगित करना।

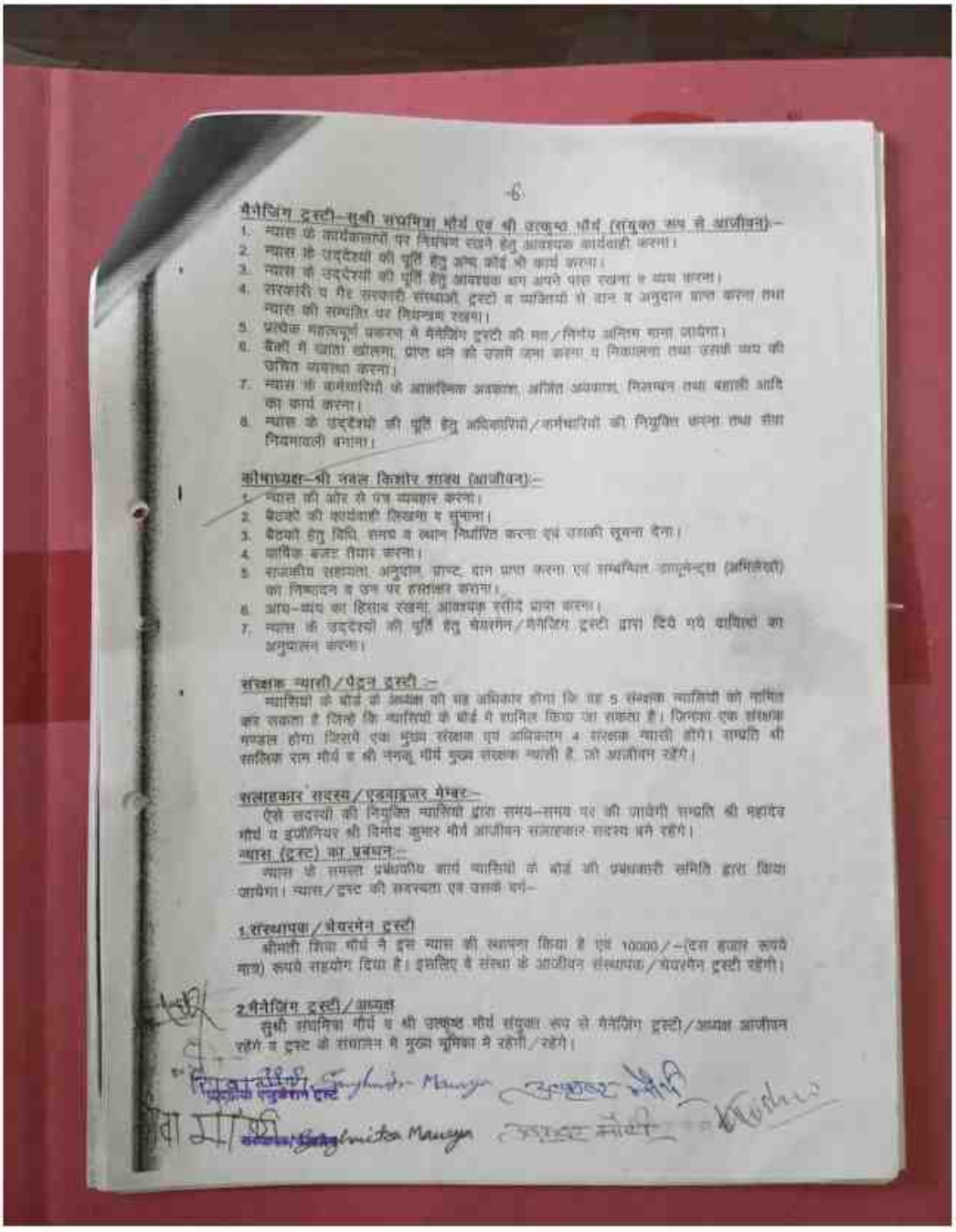

मैनेजिंग ट्रस्टी–सुश्री संघमित्रा मौर्य एवं श्री उत्कृष्ठ मौर्य (संयुक्त रूप से आजीवन):–

1. न्यास के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य कोई भी कार्य करना।
3. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक धन अपने पास रखना व व्यय करना।
4. सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों व व्यक्तियों से दान व अनुदान प्राप्त करना तथा न्यास की सम्पत्ति पर नियन्त्रण रखना।
5. प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रकरण में मैनेजिंग ट्रस्टी की मत/निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
6. बैंकों में खाता खोलना, प्राप्त धन को उसमें जमा करना व निकालना तथा उसकी व्यय की उचित व्यवस्था करना।
7. न्यास के कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, निलम्बन तथा बहाली आदि का कार्य करना।
8. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा सेवा नियमावली बनाना।

कोषाध्यक्ष–श्री नवल किशोर शाक्य (आजीवन):–

1. न्यास की ओर से पत्र व्यवहार करना।
2. बैठकों की कार्यवाही लिखना व सुनाना।
3. बैठकों हेतु तिथि, समय व स्थान निर्धारित करना एवं उसकी सूचना देना।
4. वार्षिक बजट तैयार करना।
5. राजकीय सहायता, अनुदान, ग्रान्ट, दान प्राप्त करना एवं सम्बन्धित डाकूमेन्ट्स (अभिलेखों) का निष्पादन व उन पर हस्ताक्षर करना।
6. आय–व्यय का हिसाब रखना, आवश्यक रसीदें प्राप्त करना।
7. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चेयरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दिये गये दायित्वों का अनुपालन करना।

संरक्षक न्यासी/पैट्रन ट्रस्टी :–

न्यासियों के बोर्ड के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह 5 संरक्षक न्यासियों को नामित कर सकता है जिन्हें कि न्यासियों के बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। जिनका एक संरक्षक मण्डल होगा जिसमें एक मुख्य संरक्षक एवं अधिकतम 4 संरक्षक न्यासी होंगे। सम्प्रति श्री सालिक राम मौर्य व श्री नन्हकू मौर्य मुख्य संरक्षक न्यासी है जो आजीवन रहेंगे।

सलाहकार सदस्य/एडवाइजर मेम्बर:–

ऐसे सदस्यों की नियुक्ति न्यासियों द्वारा समय–समय पर की जायेगी सम्प्रति श्री महादेव मौर्य व इंजीनियर श्री विनोद कुमार मौर्य आजीवन सलाहकार सदस्य बने रहेंगे।

न्यास (ट्रस्ट) का प्रबंधन:–

न्यास के समस्त प्रबंधकीय कार्य न्यासियों के बोर्ड की प्रबंधकारी समिति द्वारा किया जायेगा। न्यास/ट्रस्ट की संरचना एवं उसके पद–

1.संस्थापक/चेयरमैन ट्रस्टी

श्रीमती शिवा मौर्य ने इस न्यास की स्थापना किया है एवं 10000/–(दस हजार रुपये मात्र) रुपये सहयोग दिया है। इसलिए वे संस्था के आजीवन संस्थापक/चेयरमैन ट्रस्टी रहेंगी।

2.मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष

सुश्री संघमित्रा मौर्य व श्री उत्कृष्ठ मौर्य संयुक्त रूप से मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष आजीवन रहेंगे व ट्रस्ट के संचालन में मुख्य भूमिका में रहेंगी/रहेंगे।

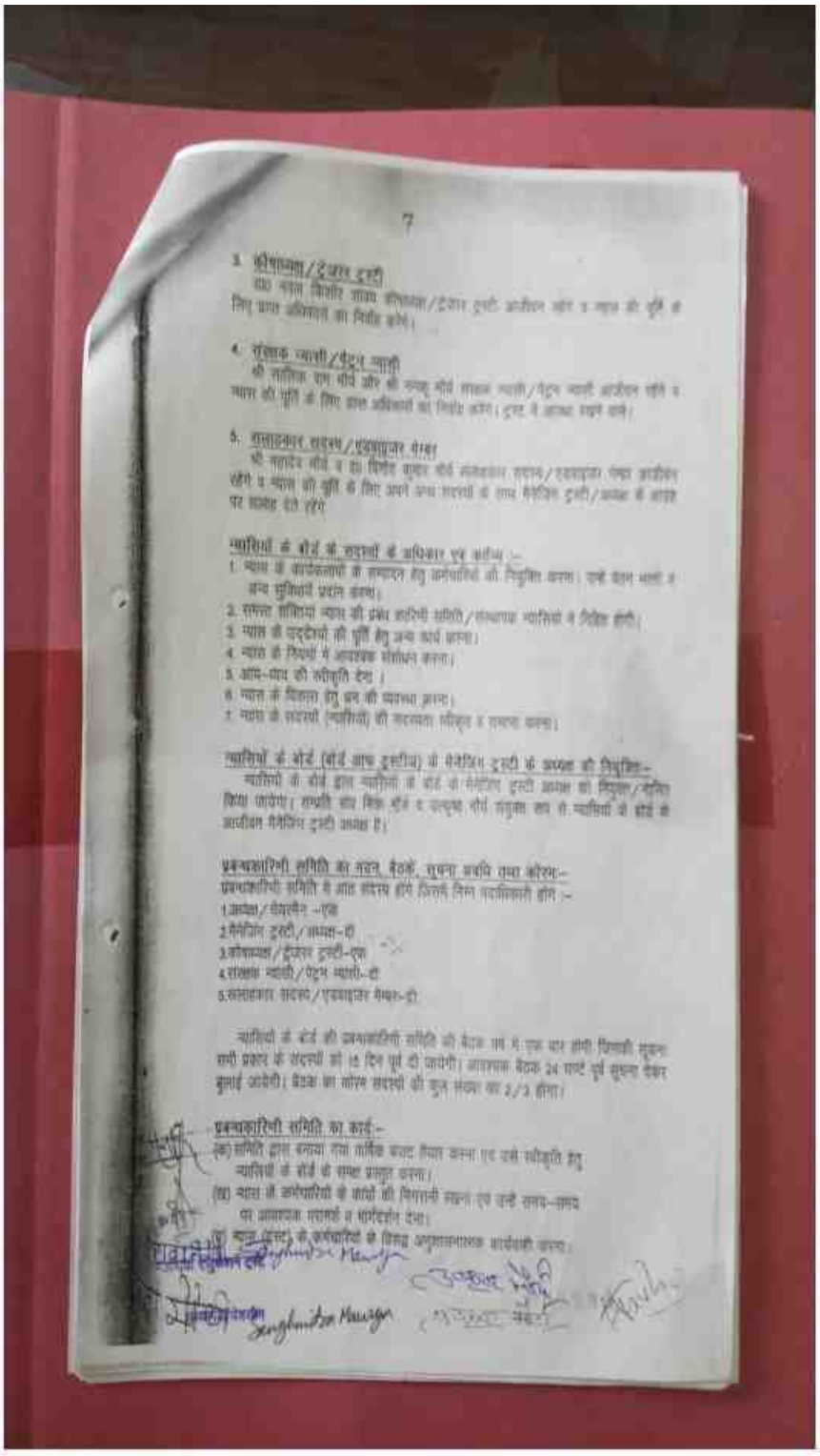

3. <u>कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी</u>
डॉ० [illegible] किशोर [illegible] कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी आजीवन रहेंगे व न्यास की पूर्ति के लिए प्राप्त अधिकारों का निर्वाह करेंगे।

4. <u>संरक्षक न्यासी/पैट्रन न्यासी</u>
श्री [illegible] राम मौर्य और श्री [illegible] मौर्य संरक्षक न्यासी/पैट्रन न्यासी आजीवन रहेंगे व न्यास की पूर्ति के लिए प्राप्त अधिकारों का निर्वाह करेंगे। ट्रस्ट में [illegible]

5. <u>सलाहकार सदस्य/एडवाइजर मेम्बर</u>
श्री [illegible] मौर्य व डा० विनोद कुमार मौर्य सलाहकार सदस्य/एडवाइजर मेम्बर आजीवन रहेंगे व न्यास की पूर्ति के लिए अपने अन्य सदस्यों के साथ मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के आग्रह पर सलाह देते रहेंगे।

<u>न्यासियों के बोर्ड के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य :-</u>
1. न्यास के कार्यकलापों के सम्पादन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करना। उन्हें वेतन भत्ते व अन्य सुविधायें प्रदान करना।
2. समस्त शक्तियां न्यास की प्रबंध कारिणी समिति/संस्थापक न्यासियों में निहित होंगी।
3. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य कार्य करना।
4. न्यास के नियमों में आवश्यक संशोधन करना।
5. आय-व्यय की स्वीकृति देना।
6. न्यास के विकास हेतु धन की व्यवस्था करना।
7. न्यास के सदस्यों (न्यासियों) की सदस्यता स्वीकृत व समाप्त करना।

<u>न्यासियों के बोर्ड (बोर्ड आफ ट्रस्टीज) में मैनेजिंग ट्रस्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति-</u>
न्यासियों के बोर्ड द्वारा न्यासियों के बोर्ड के मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष की नियुक्ति/[illegible] किया जायेगा। [illegible] संयुक्त रूप से न्यासियों के बोर्ड के आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष है।

<u>प्रबन्धकारिणी समिति का गठन, बैठकें, सूचना अवधि तथा कोरम:-</u>
प्रबन्धकारिणी समिति में आठ सदस्य होंगे जिसमें निम्न पदाधिकारी होंगे :-
1.अध्यक्ष/चेयरमैन -एक
2.मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष-दो
3.कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी-एक
4.संरक्षक न्यासी/पैट्रन न्यासी-दो
5.सलाहकार सदस्य/एडवाइजर मेम्बर-दो

न्यासियों के बोर्ड की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में एक बार होगी जिसकी सूचना सभी प्रकार के सदस्यों को 15 दिन पूर्व दी जायेगी। आवश्यक बैठक 24 घण्टे पूर्व सूचना देकर बुलाई जायेगी। बैठक का कोरम सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 होगा।

<u>प्रबन्धकारिणी समिति का कार्य:-</u>
(क) समिति द्वारा बनाया गया वार्षिक बजट तैयार करना एवं उसे स्वीकृति हेतु न्यासियों के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।
(ख) न्यास के कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी रखना एवं उन्हें समय-समय पर आवश्यक सलाह व मार्गदर्शन देना।
(ग) न्यास (ट्रस्ट) के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

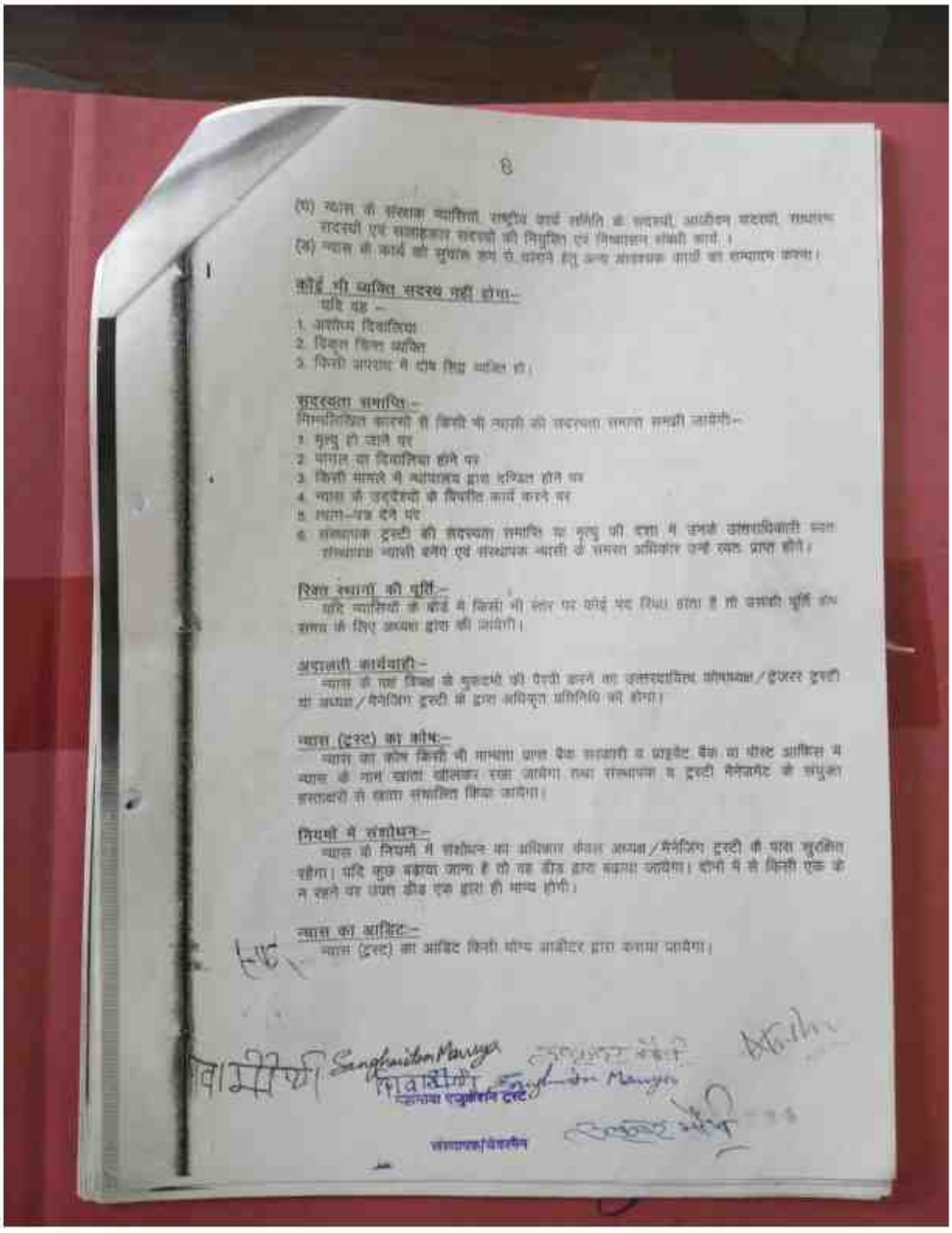

(ग) न्यास के संरक्षक न्यासियों, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों, आजीवन सदस्यों, साधारण सदस्यों एवं सलाहकार सदस्यों की नियुक्ति एवं निष्कासन संबंधी कार्य।
(घ) न्यास के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु अन्य आवश्यक कार्यों का सम्पादन करना।

कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं होगा–
यदि वह –
1. घोषित दिवालिया
2. विकृत चित्त व्यक्ति
3. किसी अपराध में दोष सिद्ध व्यक्ति हो।

सदस्यता समाप्ति–
निम्नलिखित कारणों से किसी भी न्यासी की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी–
1. मृत्यु हो जाने पर
2. पागल या दिवालिया होने पर
3. किसी मामले में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर
4. न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
5. त्याग–पत्र देने पर
6. संस्थापक ट्रस्टी की सदस्यता समाप्ति या मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी स्वतः संस्थापक न्यासी बनेंगे एवं संस्थापक न्यासी के समस्त अधिकार उन्हें स्वतः प्राप्त होंगे।

रिक्त स्थानों की पूर्ति–
यदि न्यासियों के बोर्ड में किसी भी स्तर पर कोई पद रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति शेष समय के लिए अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

अदालती कार्यवाही–
न्यास के पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करने का उत्तरदायित्व कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी या अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी या द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का होगा।

न्यास (ट्रस्ट) का कोष–
न्यास का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक सरकारी व प्राइवेट बैंक या पोस्ट आफिस में न्यास के नाम खाता खोलकर रखा जायेगा तथा संस्थापक व ट्रस्टी मैनेजमेंट के संयुक्त हस्ताक्षरों से खाता संचालित किया जायेगा।

नियमों में संशोधन–
न्यास के नियमों में संशोधन का अधिकार केवल अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी के पास सुरक्षित रहेगा। यदि कुछ बदलाव जाना है तो वह बोर्ड द्वारा बदला जायेगा। दोनों में से किसी एक के न रहने पर उपरोक्त बोर्ड एक द्वारा ही मान्य होगी।

न्यास का आडिट–
न्यास (ट्रस्ट) का आडिट किसी योग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

Sanghmitra Maurya

संस्थापक/चेयरमैन